

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

**सं. 10/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)**

**सा.का.नि. 75(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (6) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रति पाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में,-

(क) नियम 5 में,-

(i) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3क) अन्वेषण की अवधि,-

(i) अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख से छह मास से अन्यून नहीं होगी।

(ii) सामान्यतः बारह मास की अवधि की होगी और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के पश्चात् अभिहित प्राधिकारी न्यूनतम छह मास या अधिकतम अठारह मास पर विचार कर सकेगा।”;

(ii) उपनियम (4) में, “सीमा शुल्क कलक्टर” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 22 के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ग) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 23 में,-

(i) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु नियम 17 में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रति पाटित शुल्क की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व में पूरा किया जाएगा।”;

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(3) उपनियम (2) के अधीन नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथा-आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”;

(घ) नियम 26 में, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी”;

(ङ) 1 जुलाई, 2021 से, नियम 28 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन शुल्क की समाप्ति से न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, अधिसूचना सं. 02/1995-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जनवरी, 1995 संख्यांक सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 09/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 73(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

### No. 10/2021-Customs (NT)

**G.S.R. 75(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 9A and sub-section (2) of section 9B of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules. they shall come into force on the 2nd February, 2021.
2. In the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, -
  - (a) in rule 5,-
    - (i) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 

“(3A) The period of investigation shall, -

      - (i) not be more than six months old as on the date of initiation of investigation;
      - (ii) be for a period of twelve months normally and for reasons to be recorded in writing, the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”;
    - (ii) in sub-rule (4), for the words “Collector of Customs”, the words “Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be,” shall be substituted;
  - (b) in rule 22, the Explanation shall be omitted;
  - (c) with effect from the 1st day of July, 2021, in rule 23, -
    - (i) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -
 

“Provided that notwithstanding anything contained in rule 17, such review shall be completed at least three months prior to expiry of the anti-dumping duty under review.”;
  - (ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 

“(3) Subject to sub-rule (2), the provisions of rules 6,7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in the case of review.”;
- (d) in rule 26, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
 

“(4A) The Central Government may, on recommendation of the designated authority, resort to provisional assessment of the imports of the article alleged to be circumventing an anti-dumping duty in force and may ask a guarantee from the importer, till the time a decision under sub-rule (3) of rule 27 is taken by the Central Government.”;
- (e) with effect from the 1st day of July, 2021, in rule 28, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that such review shall be completed at least three months prior to expiry of the duty under review.”.

[F.No.334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

**Note:-** The principal rules were published *vide* notification number 2/1995-Customs (N.T), dated the 1st day of January, 1995, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1(E), dated the 1st day of January, 1995 and were last amended *vide* notification number 9/2020-Customs (N.T), dated the 2nd February, 2020, *vide* number G.S.R. 73(E), dated the 2nd February, 2020.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 11/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.)

**सा.का.नि. 76(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (7) और धारा 9ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) संशोधन नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये तारीख 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
2. सीमा शुल्क टैरिफ (सहायकी वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिशुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 में –

(क) नियम 2 में, खंड (ख) में, “आयातक हैं,” शब्दों के पश्चात्, ‘और तब “घरेलू उद्योग” पद का निर्वचन शेष उत्पादकों को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकेगा’, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 6 में, उप-नियम (4) में “सीमा शुल्क कलक्टर” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क अथवा आयुक्त सीमा शुल्क” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 24 में, -

(i) 1 जुलाई, 2021 से, उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु नियम 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन के अधीन प्रतिशुल्क की समाप्ति के न्यूनतम तीन मास पूर्व पूरा किया जाएगा।”;

(ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(5) उप-नियम (4) के अधीन, नियम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंध पुनर्विलोकन के मामले में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।”;

(घ) नियम 26 में उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) केंद्रीय सरकार, अभिहित प्राधिकारी की सिफारिश पर, प्रवृत्त प्रति पाटित शुल्क के परिवंचित होने के अभिकथित वस्तु के आयातों के अनंतिम निर्धारण का अवलंब ले सकेगी और केंद्रीय सरकार, नियम 27 के उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय किए जाने के समय तक आयातकर्ता से गारंटी की मांग कर सकेगी।”;